



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13032024-252923
CG-DL-E-13032024-252923

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1195]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 12, 2024/फाल्गुन 22, 1945

No. 1195]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 12, 2024/PHALGUNA 22, 1945

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मार्च, 2024

का.आ. 1257(अ).—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 अप्रैल, 2024 को, उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिस पर उक्त अधिनियम के निम्नलिखित उपबंध उत्तराखण्ड राज्य के अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों के सभी क्षेत्रों में, प्रवृत्त होंगे, अर्थात्,—

- धारा 38 से धारा 43;
- धारा 45क से धारा 45ज;
- धारा 46 से धारा 73;
- धारा 74 से धारा 75;
- धारा 76 की उपधारा (2) से उपधारा (4); और
- धारा 82 और धारा 83।

[फा. सं. एस-38013/01/2024-एसएस-I]
आलोक चंद्रा, ज्येष्ठ श्रम और रोजगार सलाहकार

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th March, 2024

S.O. 1257(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the **1st day of April, 2024**, as the date on which the following provisions of the said Act, shall come into force in all areas of the **Almora, Bageshwar, Chamoli, Champawat, Pithoragarh, Rudraprayag and Uttarkashi districts, in the State of Uttarakhand**, namely,—

- (i) sections 38 to 43;
- (ii) sections 45A to 45H;
- (iii) sections 46 to 73;
- (iv) sections 74 and 75;
- (v) sub-section (2) to (4) of section 76; and
- (vi) sections 82 and 83.

[F. No. S-38013/01/2024-SS-I]

ALOK CHANDRA, Senior Labour and Employment Adviser